झारखंड सरकार

झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड विधान-मण्डल

(सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन)

(संशोधन)

अधिनियम, 2002

सत्यमेव जयते

(सभा द्वारा पारित)

[अधिनियम संख्या-16/2002]

झारखंड विधान–मंडल

(सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन)

(संशोधन) अधिनियम, 2002

(सभा द्वारा पारित)

झारखंड विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001 का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के 53वें (तिरपनवें) वर्ष में झारखंड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :–

(I) यह अधिनियम झारखंड विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जा सकेगा।

(II) यह अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. झारखंड अधिनियम–03, 2001 की धारा–3 का संशोधन :–

झारखंड विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001 (झारखंड अधिनियम–03) इसके आगे उक्त अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट की धारा–03 में प्रयुक्त शब्द "सदस्य" के बाद प्रयुक्त अंक एवं शब्द 3,000/– (तीन

हजार) के स्थान पर अंक एवं शब्द 4,000/– (चार हजार रुपये) प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. झारखंड अधिनियम–03, 2001 की धारा–8 की उपधारा (I) (ख) में "स्पष्टीकरण" –कंडिका के पश्चात् एक नई कंडिका निम्नवत् अंकित की जायेगी– "विधान सभा की समितियों की बैठक में लगातार दो बार अनुपस्थित रहने पर अन्तराल की अवधि का दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।"

4. झारखंड अधिनियम–03, 2001 की धारा–9 का संशोधन :–

उक्त अधिनियम की धारा–9 की उपधारा (I) (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित समझा जायेगा :–

"झारखंड विधान मंडल के प्रत्येक सदस्य को 2,00,000/– (दो लाख) रुपये के समतुल्य राशि का कूपन देय होगा, जिसमें एक लाख रुपये तक के कूपन का व्यय हवाई यात्रा में, अगर माननीय सदस्य चाहें तो कर सकेंगे, जिसकी प्रतिपूर्ति झारखंड विधान सभा करेगी।"

ii) उक्त अधिनियम की धारा–9 की उपधारा (III) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित समझे जायेंगे।

"प्रत्येक सदस्य अपने साथ यात्रा के दौरान झारखंड राज्य के अन्तर्गत या

बाहर, अपने अतिरिक्त पाँच सहयात्री को अपने साथ उपलब्ध कूपन की राशि के अन्तर्गत ले जाने का हकदार होगा।''

iii) उक्त अधिनियम की धारा–9 की उपधारा (IV) के पश्चात् एक नई धारा–9 (V) जोड़ी जायेगी –

"प्रत्येक सदस्य की पति अथवा पत्नी विधान सभा द्वारा निर्गत परिचय–पत्र के आधार पर यात्रा के दौरान सदस्य की अनुपस्थिति में भी, रेलवे कूपन का प्रयोग कर सकते/सकती हैं।"

5. झारखंड अधिनियम–03, 2001 की धारा–14 के पश्चात् एक उपधारा निम्नवत् जोड़ी जायेगी –

14 (I) सत्कार भत्ता – झारखंड विधान मंडल के प्रत्येक सदस्य को 1,000/– (एक हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से सत्कार भत्ता का भुगतान देय होगा।

6. झारखंड अधिनियम–03, 2001 की धारा–17 का संशोधन :–

उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (I) (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा–

क) झारखंड विधान सभा के सदस्य के रूप में, या झारखंड क्षेत्र में रहने वाले जो पूर्व विधायक हैं, वह झारखंड के पूर्व विधायक माने जायेंगे, अर्थात् झारखंड

राज्य के वैसे महानुभाव जो अविभाजित बिहार के विधान मंडल के किसी सदन में निर्वाचित/मनोनीत रहे हों, उन्हें पेंशन/पारिवारिक पेंशन, चिकित्सा एवं अन्य सुविधा झारखंड विधान सभा/सरकार से प्राप्त होगी।

ख) उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (I) (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा –

"पूर्व विधायकों को पेंशन सुविधा अन्तर्गत 3,000/– (तीन हजार) रुपये प्रतिमाह मौलिक पेंशन एवं एक वर्ष से अधिक विधायक रहने पर 500/– (पाँच सौ) रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से पेंशन वृद्धि जोड़कर पेंशन निर्धारित किया जायेगा, जो अधिकतम 15,000/– (पन्द्रह हजार) रुपया होगा।"

ग) उक्त अधिनियम की धारा–17 (VI) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा –

"प्रत्येक व्यक्ति को जो उपधारा (I) के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, को एक लाख रुपये के समतुल्य राशि का कूपन देय होगा, जिसमें 50 प्रतिशत राशि से हवाई जहाज से यात्रा की जा सकेगी। उक्त बंधेज के अधीन पूर्व सदस्य अपने खर्च से हवाई यात्रा करेंगे और इसकी प्रतिपूर्ति विधान सभा से की जायेगी। साथ ही अपने साथ तीन सहयात्री उपलब्ध कूपन के अन्तर्गत ले जा सकेंगे।"

7. झारखंड अधिनियम–03, 2001 की धारा 18 का संशोधन :– झारखंड विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 2001) झारखंड अधिनियम–03,

2001 (इसके आगे उक्त अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट) की धारा–18 के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएँ प्रतिस्थापित की जायेंगी –

i) पूर्व विधायक, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हों, तो देश के अंदर किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी अस्पताल में उनकी चिकित्सा पर होने वाले खर्च का पूर्ण वहन राज्य सरकार करेगी और चिकित्सा पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत राशि अग्रिम के रूप में देय होगा।

ii) प्रत्येक पूर्व सदस्य एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता (आउटडोर) पाने का हकदार होगा।

यह विधेयक झारखंड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2002 दिनांक 26 अगस्त, 2002 को झारखण्ड विधान–सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 26 अगस्त, 2002 के सभा द्वारा पारित हुआ।

यह एक धन विधेयक है।

इन्दर सिंह नामधारी,

अध्यक्ष ।

मै इस विधेयक पर अनुमति प्रदान करता हूँ ।

दिनांक 13-9-2002

ह०/- **म० रामा जोयिस,**
राज्यपाल, झारखण्ड ।

सच्ची प्रतिलिपि

(अमरनाथ झा)
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०)35--331--5-10-2002--शनि मुण्डा ।